

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2793

दिनांक :- 15-02-2019

आदेश संख्या : 337/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), नागणेचेजी मन्दिर के पास, बीकानेर-334003 में दिनांक 18/02/2019 से 12/04/2019 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 18/02/2019 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र. सं.	कनिष्ठ लेखाकार का नाम व पिता का नाम	मेरिट क्रमांक	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	नन्द किशोर S/o गोपीराम बिश्नोई	1244 / 2013	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
2	राजेन्द्र सिंह S/o पृथ्वी सिंह	2676 / 2013	आयुक्त, शिक्षा (प्रारम्भिक), बीकानेर।
3	सुरेन्द्र कुमार व्यास S/o नरेन्द्र कुमार व्यास	2119 / 2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, बीकानेर।
4	पवन व्यास S/o राजेन्द्र व्यास	1386-ए / 2013	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विभाग, बीकानेर।
5	मंजू रानी D/o चेताराम करवासरा	2856 / 2013	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, हनुमानगढ़।
6	मनोज झंडू S/o राम निवास झंडू	451 / 2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, फागी, जयपुर।
7	पुरुषोत्तम बारोलिया S/o कन्हैया लाल बारोलिया	828 / 2013	मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
8	पवन परेवा S/o रामप्रसाद परेवा	2232 / 2013	प्राचार्य, नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9	गणेश नारायण मीणा S/o कुशला राम मीणा	2359 / 2013	कमान अधिकारी-I राज. गर्ल्स बटालियन, एनसीसी नेशनल क्रेडिट कॉर्पस, जयपुर।
10	सोहन लाल कुमावत S/o रतन लाल कुमावत	2884 / 2013	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, टोडारायसिंह, टोंक।

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2793

दिनांक:- 15-02-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- . महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), नागणेचेजी मन्दिर के पास, बीकानेर-334003 प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
- . विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
-को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
- . सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- . अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- . उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
- . रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)